लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2579

जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

प्याज खरीद में भ्रष्टाचार

2579. श्री राजा राम सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) द्वारा प्याज खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों की सूचनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को किसानों से सीधे प्याज न खरीदने के संबंध में किसान संघों की ओर से नेफेड और एनसीसीएफ के विरूद्ध शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो उन पर की गई कार्रवाई सहित प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय अन्य विभागों द्वारा नेफेड की प्याज खरीद में अनियमितताओं के विरूद्ध जांच में सरकार से परामर्श लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नेफेड की प्याज खरीद संबंधी प्रविधियों की संपरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ड.): भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत प्याज की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) ने एक तथ्य अन्वेषण समिति का गठन किया है। डीएएफडब्ल्यू ने 4 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सुझाव दिया कि पारदर्शिता और स्थानीय निगरानी सुनिश्चित करने, किसानों का बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन अपनाने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में भुगतान करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

पीएसएफ बफर के लिए प्याज की खरीद नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के माध्यम से की जाती है, जहां खरीदे गये प्याज के लिए भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। प्याज की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने डिजिटल खरीद सहायता और सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसी को लगाया है। इस प्रणाली के जरिए प्याज की खरीद, भंडारण और निपटान की निगरानी की जा रही है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए सरकार बाजार में हस्तक्षेप के लिए प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है, ताकि बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्याज को अंशाकित और लक्षित तरीके से जारी किया जा सके। रबी-2024 की फसल से कुल 4.70 लाख टन प्याज खरीदा गया है। थोक बाजारों में उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों और खुदरा दुकानों के माध्यम से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज को संतुलित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केंद्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज वितरित किया जाता है। इन उपायों से उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिली है।

****